न्यायालय जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी–श्री पुखराज सेन, आई.ए.एस.

निगरानी संख्या– 32/2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2023/211

निगरारीकार	बनाम	गैरनिगरानीकार
रामस्वरूप पुत्र स्व0 श्री गणपतलाल जाति ब्राहम्ण निवासी मानपूरा उपतहसील पीलवा तहसील परबतसर जिला डीडवाना–कुचामन।		1. अमित कुमार पुत्र कमल किशोर जाति ब्राहम्ण निवासी मानपूरा उपतहसील पीलवा तहसील परबतसर जिला डीडवाना–कुचामन। 2. सत्यनारायण पुत्र स्व0 गणपतलाल 3. पवन पुत्र स्व0 राधेश्याम 4. ज्योति पुत्री स्व0 राधेश्याम 5. संगीता पुत्री स्व0 राधेश्याम 6. पूजा पुत्री स्व0 राधेश्याम 7. बसन्ती पत्नि स्व0 राधेश्याम 8. जमनादेवी पत्नि स्व0 गणपतलाल समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण मानपूरा उपतहसील पीलवा तहसील परबतसर जिला डीडवाना–कुचामन। 9. सरपंच, ग्राम पंचायत, कुण्डरी उपतहसील पीलवा तहसील परबतसर 10. ग्राम सेवक/पदेन सचिव, ग्राम पंचायत, कुण्डरी उपतहसील पीलवा तहसील परबतसर जिला डीडवाना–कुचामन।

<u>अपील अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती एक्ट वास्ते निरस्त करने पट्टा संख्या 42/2017 व संकल्प संख्या 03/05/07/2017 दिनांक 20.09.2017 ग्राम पंचायत, कुण्डरी</u>

उपस्थितः–

1. श्री सिकन्दर खां वकील निगरानीकार की ओर से।
2. श्री ओम प्रकाश मोठ वकील गैरनिगरानीकार संख्या 01 की ओर से।

<u>निर्णय</u>

दिनांकः 10.09.2024

अपील के संक्षेप्त में तथ्य इस प्रकार है किः–

Signature Not Verified

Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.01.22 10:43:44 IST
Reason: SelfAttested

1. अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 [illegible] 08 [illegible]गणपतलाल विधिक उत्तराधिकारी व वारिसान है, रेस्पोडेन्ट अ[illegible] कमलकिशोर का पुत्र [illegible]नकी वंशावली निम्न प्रकार से हैः–

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

गणपतलाल

रामस्वरूप	राधेश्याम (फौत)	कमल किशोर	सत्यनारायण	जमनादेवी

पवन (पुत्र)	संगीता (पुत्री)	ज्योति (पुत्री)	पूजा (पुत्री)	बसन्ती (पत्नी)

2. ग्राम मानपुरा के आबादी में एक आवासीय जायगा बस स्टैएड चौराया के उत्त दिशा में अवस्थित है तथा यह आबादी जायगा अपीलान्ट की पैत्रिक सम्पत्ति है तथा यह जायगा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ता 08 के पिता व पति की संयुक्त शामलाती जायगा है। जिसमें अपीलान्ट का एक खुला भूखण्ड है यह अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट की सामलाती भूमि सदैव से रही है, यह आवासीय भूमि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ता 08 के पूर्वज स्व0 गणपतलाल के सामय से ही कब्जा व स्वामित्व की रही है।यह आवासीय जायगा किसी भी प्रकार से स्व0 गणपतलाल के वारिसान में बंटी हुई नही है। सभी का संयुक्त व शामलाती कब्जा सदैव से रहा है तथा वर्तमान में भी है।
3. अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ता 08 स्व0 गणपतलाल के वारिसान है तथा सभी का उपरोक्त पुश्तैनी आवासीय थाला पर शामलाती कब्जा रहा है। जिसकी प्रत्येक हर इंच भूमि पर अपीलार्थी का हक अधिकार व स्वामित्व रहा है तथा अपीलान्ट संख्या 01 रामस्वरूप खाने कमाने हेतु पिछले 7–8 वर्षो से अजमेर में रहता है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 सत्यनारायण कमाने खाने के लिए पिछले 8–9 वर्षो से सुरत में रहता है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 03 ता 07 भी कमाने खाने के लिए वर्तमान में खेडुली जिला नागौर में रहते है तथा समय समय पर ग्राम मानपुरा आते जाते रहते है तथा अपनी पुश्तैनी संयुक्त जायगा की देखभाज करते रहते है।
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 अमित कुमार व उसका पिता कमल किशोर एक होशियार व चतुर व्यक्ति है तथा वह गांव में पैत्रिक आवासीय भूमि में संयुक्त शामलाती कमरे में दुकान चलाता है तथा वह ग्राम मानपुरा में ही रहता है तथा अपीलान्ट समय समय पर अपने ग्राम मानपुरा आते जाते रहते है तथा अपनी पैत्रिक भूमि की सार सम्भाल करते रहते है तथा अपीलान्ट ने अपने सभी सन्तानों का शादी विवाह भी ग्राम मानपुरा में ही सम्पन्न किया गया था।
5. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व उसके पिता कमल किशोर ने ग्राम पंचायत कुण्डली से मिलीभगत कर अपीलान्ट के पिता व दादा की पुश्तैनी व शामलाती भूमि को गलत रूप से अपने अकेले की कब्जा सुदा बता कर गलत रूप से फर्जी पट्टा संख्या 42 दिनांक 20.09.2017 को बनवा लिया। अपीलान्ट के पूर्वजों की जमीन भी ग्राम पंचायत के नाम की नहीं थी। पट्टा ग्राम पंचायत ने अमित कुमार के नाम बनाया है, जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट की ओर से यह अपील पट्टा निरस्त करने की अपील पेश करते है। जिसके आधार निम्नलिखित हैः–

:–अपील के आधार–:

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.01.22 10:43:44 IST
Reason: SelfAttested

1. योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश अधिन अपील पारित करने में कानूनी एवम् वाक्याती भूल की है, अतः आदेश अधिन अपील अपास्त किये जाने योग्य हैं।
2. योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के विपरीत आदेश अधिन अपील पारित करने में कानूनी एवम् वाक्याती भूल की है, अतः आदेश अधिन अपील अपास्त किये जाने योग्य हैं।

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

3. योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत न्याय के सामान्य सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए आदेश अधिन अपील पारित करने में घोर त्रृटि की है, अतः आदेश अधिन अपील अपास्त किये जाने योग्य हैं।

4. ग्राम पंचायत कुण्डरी ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के प्रारूप 23 (2) नियम 157 (1) के तहत उक्त पट्टा संख्या 40 दिनांक 20.09.2017 को जारी किया है, जिसमें ग्राम पंचायत ने पंचायत अधिनियम के नियमों व सिद्धान्तों की खुलम खुला अवहेलना करते हुये उक्त पट्टा जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टा में वर्णित शर्त संख्या 01 में यह उल्लेखित किया है कि **" पूर्वोक्त आवंटिती का पचास वर्ष से अधिक से पुराने घर पर कब्जा है।"** उक्त शर्त की कोई पालना नहीं हुई, क्योंकि जिस अमित कुमार के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है, उसकी उम्र आज भी मात्र 20 वर्ष ही है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्राम पंचायत ने पंचायत नियमों की अवहेलना करते हुये रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को गलत फायदा पहुँचाने की नियत से प्रलोभन में आकर यह पट्टा जारी किया गया है, जिससे भी यह पट्टा प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है।

5. ग्राम पंचायत द्वारा अमित कुमार के नाम जो गलत पट्टा जारी किया गया है, उसी दिवस उसके चिपते ही दक्षिण दिशा में अवस्थित भूमि जो इसी आबादी भूमि का हिस्सा है, का भी पट्टा उसी दिवस पट्टा संख्या 40 जो अमित कुमार के भाई अंकित कुमार के नाम से जारी किया गया है, जबकि तथाकथित पट्टा संख्या 40 व 42 की भूमि आज भी मौकि पर एक ही खण्ड में है, मौके पर किसी प्रकार की कोई दिवार या सीमा अवस्थित नहीं है, जिससे भी यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने उपरोक्त पट्टा फौरी तौर पर अपीलान्ट की पुश्तैनी जायगा का फर्जी पट्टा जारी किया गया है, जो प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य हैं।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 अमित कुमार को यह पूर्ण रूप से ज्ञान था कि उपरोक्त आवासीय जायगा पुश्तैनी व शामलाती व संयुक्त कब्जे की है, फिर भी उसने इस बात को छुपाते हुये ग्राम पंचायत से मिलीभगत कर उपरोक्त विवादित पट्टा जारी करवाया है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।

7. अपीलान्ट के पिता व रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के पिता व रेस्पोडेन्ट संख्या 03 से 07 के दादा व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के दादा स्व0 गणपतलाल की मृत्यु दिनांक 06.11.2013 को हो चुकी है। अपीलाधीन पट्टे की भूमि सदैव से संयुक्त व शामलाती स्व0 गणपतलाल के चारों पुत्रों की रही है तथा उपरोक्त जायगा स्व0 गणपतलाल जी के जीवनकाल से ही संयुक्त रूप से चली आ रही है। फिर भी ग्राम पंचायत कुण्डरी ने विधि के सिद्धान्तो की अवहेलना करते हुये ग्राम पंचायत अधिनियम की पालन नहीं करते हुये यह गलत रूप से पट्टा जारी किया गया है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।

8. ग्राम पंचायत ने जो अपीलाधीन पट्टा रेस्पोडेन्ट सं0 1 के पक्ष में जारी किया गया हैं, जो अमित कुमार को वर्षो पुराना कब्जा होने के आधार पर पट्टा जारी किया गया है, जबकि अमित कुमार कि उम्र आज भी मात्र 20 वर्ष ही है। जिस पर ग्राम पंचायत ने कोई गौर न करके यह विधि विरूद्ध पट्टा जारी किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.01.22 10:43:44 IST
Reason: SelfAttested

9. रेस्पोडेन्ट सं0 1 का पिता कमल किशोर [illegible] होशियार व्यक्ति है, उसने अपीलान्ट के पिता व दादा स्व0 गणपतलाल की ग्राम मानपुरा में स्थित सम्पूर्ण पैत्रिक / पुश्तैनी आवासीय मकान व जायगा के अलग–अलग चार पट्टे–पट्टा सं0 43 कमल किशोर के नाम, पट्टा सं0 40 व 42 अपीलान्ट के भाई कमल किशोर ने अपने पुत्रों अंकित कुमार व अमित कुमार व पट्टा सं0 41 का पट्टा कमल किशोर ने

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

अपनी पत्नी के नाम गलत रूप से संयुक्त व शामलाती जायगा होने के बावजूद भी गलत रूप से जारी करवा लिया है, जो प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है।

10. अभी हाल ही में द्वितीय सप्ताह मार्च महिने में अपीलार्थी रामस्वरूप व उसका लड़का दामोदर अपने गांव मानपुरा में अवस्थित अपनी पैत्रिक जायगा को सम्भालने के लिए आया तब रेस्पोडेन्ट सं0 1 व उसके पिता ने कहा कि उपरोक्त सम्पति तो हमारी अकेलो की है, आप स्व0 गणपतलाल जी वारिसान का इसमें कोई लेना–देना नही है तथा रेस्पोडेन्ट ने कहा की मैने सारी आवासीय जायदाद का अपने स्वयं के नाम पट्टा ग्राम पंचायत कुण्डरी से जारी करवा लिया है, अब तुम्हारा इस जायदाद में कोई हक अधिकार शेष नहीं रहा है, तब अपीलार्थी ने ग्राम पंचायत में पता किया तथा उक्त पट्टों की उपपंजीयक, पीलवा से दिनांक 13.08.2020 को प्रमाणित नकल प्राप्त की, तब इस फर्जी पट्टे का प्रथम बार ज्ञान हुआ, जिससे यह अपील अन्दर मयाद पेश है।

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर सादर नम्र निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार का पट्टा संख्या 42/2017 व संकल्प संख्या 03/05/07/2017 दिनांक 20.09.2017 ग्राम पंचायत, कुण्डरी को निरस्त करने का आदेश फरमावें।

बहस के तर्को पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया।

निगरानीकार ने पट्टे के लिए आवेदन नियम 157(1) के तहत पेश किया है। राजस्थान पंचायतीराज नियम 157(1) के तहत प्रावधान है कि **"पुराने गृहों का विनियमितीकरणः–** जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी कराये जाने के इच्छुक है वहां उन्हे निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात प्रारूप 23–क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा।

ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे से संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही नियम 145 व नियम 146(2) व नियम 146(3) के तहत की गई है। नियम 145(1) में प्रावधान है कि **क्रय के लिए आवेदन** :–" पंचायत से कोई भी आबादी भूमि/छूटा हुआ भूखण्ड या भूमि की कोई पट्टी खरीदने का इच्छुक कोई व्यक्ति पंचायत को लिखित आवेदन, उसमें उसका ऐसा विवरण देते हुए करेगा, जो क्रय के लिए प्रस्तावित भूमि की पहचान के लिए पर्याप्त हो।"

प्रस्तुत प्रकरण में अमित कुमार के आवेदन पर पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया है। अमित कुमार द्वारा आबादी भूमि के मकान का नियमितिकरण चाहा है। यह मकान प्रार्थी को किस प्रकार प्राप्त हुआ इस संबंध में कोई भी जांच पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। न ही इस संबंध में कोई जांच होना पंचायत की पत्रावली पर पाया जाता है। न ही इस संबंध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर लिये गये।

अतः निगरानीकार की निगरानी स्वीकार कर प्रकरण ग्राम पंचायत को प्रेतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण की पुनः जांच कर नियमानुसार कार्यवाही करें।

आदेश आज दिनांक **13.01.2025** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.01.22 10:43:44 IST
Reason: SelfAttested

(पुखराज सेन, IAS)
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन